पी.एस.बी.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)

वार्षिक रिपोर्ट (संक्षिप्त)

Annual Report (Abridged)

2012-13

Where service is a way of life

निदेशक मंडल / Board of Directors

श्री डी.पी. सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
Sh. D.P. Singh
Chairman & Managing Director

श्री पी.के. आनन्द
कार्यकारी निदेशक
Sh. P.K. Anand
Executive Director

श्री रजत सच्चर
Sh. Rajat Sachar

श्री बी.पी. कानूनगो
Sh. B.P. Kanungo

श्री महेश गुप्ता
Sh. Mahesh Gupta

श्री करनपाल सिंह सेखों
Sh. Karanpal S. Sekhon

श्री सुखेन पाल बबूता
Sh. Sukhen Pal Babuta

श्री राजेंद्रन नारायणन
Sh. Rajendran Narayanan

श्री सुरेश ठाकुर
Sh. Suresh Thakur

श्री संजीव कुमार अरोरा
Sh. Sanjiv K. Arora

श्री एस.पी.एस. विर्क
Sh. S.P.S. Virk

विषय–सूची/Contents

		पृष्ठ संख्या/Page No.
1.	उल्लेखनीय तथ्य/Highlights	2
2.	निदेशक मंडल/Board of Directors	3
3.	नोटिस/Notice	4-15
4.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट/Directors' Report	16-49
5.	निगमित शासन की रिपोर्ट/Corporate Governance Report	50-101
6.	संक्षिप्त वित्तीय विवरणियां/Abridged Financial Statements:	102-113
	तुलन–पत्र/Balance Sheet	102-104
	लाभ–हानि खाता/Profit & Loss Account	105-107
	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित लेखों से संबंधित टिप्पणियां Notes on Accounts referred in Independent Auditors' Report	108-109
	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Independent Auditors' Report	110-113
7.	उपस्थिति पर्ची/Attendance Slip	114
8.	ईसीएस अधिदेश/बैंक खाते के ब्यौरे का फार्म /ECS Mandate Form/Bank Account Details	115
9.	प्रॉक्सी फार्म/Proxy Form	116-119

उल्लेखनीय तथ्य / Highlights

	रुपए लाखों में/Rupees. in lacs यथा/as on 31.03.2013
1. जमा Deposits	7064150
2. सकल अग्रिम Gross Advances	5184335
3. प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	1418063
4. सकल निवेश Gross Investments	2259024
5. शुद्ध लाभ Net Profit	33922
6. आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	0.44%
7. शुद्ध एनपीए अनुपात (%) Net NPA Ratio (%)	2.16%
8. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल–I) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-I)	12.71%
9. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल–II) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-II)	12.91%

24 जून, 1908 से राष्ट्र की सेवा में समर्पित

Serving the Nation since 24th June, 1908

प्रधान कार्यालय : "बैंक हाउस", 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली–110008

Head Office : "Bank House", 21 Rajendra Place, New Delhi-110008

निदेशक मंडल / Board of Directors

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
Chairman & Mg.Director

श्री डी.पी. सिंह, आई.ए.एस
Shri D.P.Singh, I.A.S

कार्यकारी निदेशक

श्री पी. के. आनन्द
Shri P.K.Anand

निदेशक
Directors

Sh. Rajat Sachar

Sh. B.P.Kanungo

Sh. Mahesh Gupta

Sh. Karanpal Singh Sekhon

Sh. S.P.Babuta

Sh. R.Narayanan

Sh. Suresh Thakur

Sh.

श्री एस.पी.एस.विर्क
Sh. S.P.S.Virk

महाप्रबंधक / General Managers

श्री इकबाल सिंह भाटिया

श्री दीपक कुमार मैनी

श्री हर्ष बीर सिंह
Harsh Bir Singh

श्री एस.पी.एस.कोहली
Sh. S.P.S.Kohli

श्री आर.सी.नारायण
Sh. R.C.Narayan

श्री जी.एस.ढल्ल
Sh. G.S.Dhall

लेखा परीक्षक/ Auditors

जी.एस.गोयल एण्ड कं.
G.S.Goel & Co.

एस.बी.जी.एण्ड कं.
S.B.G. & Co.

ओ.पी.तुलसियां एण्ड कं.
O.P.Tulsyan & Co.

आर.एम.लाल एण्ड कं.

बी.के.श्राफ एण्ड कंपनी

आर.कोठारी एण्ड कंपनी

नोटिस

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की तृतीय वार्षिक सामान्य बैठक **निर्यात भवन, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाईजेशन, राव तुला राम मार्ग, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एण्ड रेफेरल के सामने, नई दिल्ली – 110057 में वृहस्पतिवार, 20 जून, 2013 को प्रातः 09.00 बजे** आयोजित होगी। इसमें निम्नलिखित कारोबार संचालित होंगे:

1. बैंक का 31 मार्च, 2013 के तुलन–पत्र, 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लाभ–हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन–पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार–विमर्श, अनुमोदन व अंगीकरण।

2. वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए लाभांश का अनुमोदन एवं घोषणा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 मई, 2013

(डी.पी.सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

NOTICE

Notice is hereby given that the Third Annual General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held on **Thursday, the 20th June, 2013 at 9.00 A.M., at Niryat Bhawan,** Federation of Indian Export Organistions, Rao Tula Ram Marg, Opp. Army Hospital Research & Referral, New Delhi-110057 to transact the following business:

1. **To** discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2013, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2013, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To approve and declare dividend on Equity Shares for the financial year 2012-13.

By Order of the Board of Directors

Place : New Delhi
Date : 14th May 2013

[D.P.Singh]
Chairman & Managing Director

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर और मीटिंग) विनियमन 2008

विनियमन 10 संयुक्त शेयरधारकों के अधिकारों का प्रयोगः

यदि कोई शेयर दो या अन्य व्यक्तियों के नाम से हों ,तो जिस व्यक्ति का नाम पहले लिखा हो ,को वोट करने, लाभांश लेने, नोटिस देने और सभी या अन्य कोई मामला जोभी हो के लिए पूर्ण अधिकार होगा सिवाय पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयर हस्तांतरण करने का हक नहीं होगा।

शेयरधारकों की बैठक

विनियम 61. आम बैठक में मतदानः

i. किसी भी सामान्य बैठक में जब तक मतदान की मांग न की जाए बैठक में मत का निर्णय हाथ उठाकर ही किया जाएगा।

ii. जैसा कि अधिनियम में अन्यथा वर्णित हो, सामान्य बैठक में प्रस्तुत सभी मुद्दे बहुमत के आधार पर निर्णित किये जाएंगे।

iii. उप विनियम (i) के अंतर्गत जब तक कि चुनाव की मांग न की गयी हो, बैंठक के अध्यक्ष द्वारा एक घोषणापत्र कि प्रस्ताव हेतु हाथ उठाकर रजामंदी सर्वसम्मति से अथवा निश्चित बहुमत से मांगी गई अथवा नहीं और रिकार्ड में कार्यवाही से संबंधित प्रविष्टि को, प्रस्ताव के विरुद्व अथवा समर्थन में पड़े मतों के प्रमाण के बिना भी निर्णायक साक्ष्य माना जाएगा।

iv. किसी प्रस्ताव पर हाथ उठाकर रजामंदी देने के परिणाम घोषित होने पर या उससे पहले ,बैठक के अध्यक्ष द्वारा निजी प्रस्ताव द्वारा और किसी एक शेयरधारक या शेयरधारकों की मांग पर , जो उस बैठक में उपस्थित हों या किसी प्रतिनिधि द्वारा जो बैंक का शेयरधारक हो , जो मसौदे के संबंध में कुल वोटिंग अधिकार के पांचवां हिस्सा रखता हो की मांग पर मतदान का आदेश दे सकता है।

v. जों व्यक्ति या व्यक्तियों जिन के द्वारा चुनाव की मांग रखी गई हो ,वे इस मांग को कभी भी वापस ले सकते है।

vi. स्थगन के प्रश्न पर या मीटिंग के अध्यक्ष के चुनाव की मांग तत्काल स्वीकार किये जाएंगे।

vii. मीटिंग के अध्यक्ष के आदेशानुसार किसी अन्य प्रश्न पर चुनाव की मांग को मांग के समय से 48 घंटों के भीतर पूरा किया जाएगा ।

viii. किसी व्यक्ति की वोट डालने की योग्यता तथा किसी चुनाव में किसी व्यक्ति द्वारा वोट डालने की संख्या के निर्धारण में बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

शेयरधारकों के मताधिकार

विनियमन 68 मताधिकार का निर्धारण

i. उक्त अधिनियम की धारा 3(23) में समाविष्ट प्रावधानों के अधीन ऐसे प्रत्येक शेयरधारक जो जिसे सामान्य सभा के पूर्व रजिस्टर बंद होने की तिथि को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, ऐसी सभा में हाथ उठाकर एक मत देने का अधिकार होगा।

ii. उक्त अधिनियम की धारा 3(23) में समाविष्ट प्रावधानों के अधीन ऐसे प्रत्येक शेयरधारक को, जो उपयुक्तानुसार मतदान करने का पात्र है, जो कंपनी की हैसियत से नही व्यक्तिगत रूप से अथवा मुख्तार के माध्यम से उपस्थित हो अथवा जो कंपनी की हैसियत से विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या मुख्तार के माध्यम से उपस्थित हो हाथ उठाकर एक मत देने का अधिकारी प्राप्त होगा तथा मतदान की स्तिति में इसमें इसके ऊपर उप विनियम (i) में यथावर्णित उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मद देने का अधिकारी होगा। स्पष्टीकरणः इस अध्याय के लिए कंपनी से अभिप्रायः है कोई भी निगमित निकाय ।

iii. सामान्य सभा में उपस्थित रहने और मतदान करने के पात्र बैंक के शेयरधारक किसी अन्य व्यक्ति (चाहे वह शेयर धारक हो या नहीं) को अपने मुख्तार के रूप में अपने स्थान पर सभा में उपस्थित रहने और मतदान करने हेतु नियुक्ति करने के हकदार होगें, किन्तु इस प्रकार नियुक्त मुख्तार को उक्त सभा में बोलने का कोई अधिकार नही होगा ।

PUNJAB & SIND BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2008

Regulation 10. Exercise of Rights of Joint Holders:

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Punjab & Sind Bank except the transfer of shares, be deemed to be sole holder thereof.

MEETING OF SHAREHOLDERS

Regulation 61. Voting at General Meeting.

i. At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.

ii. Save as otherwise provided in the Regulations, every matter submitted to the general meeting shall be decided by a majority of votes.

iii. Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against such resolution.

iv. Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.

v. The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.

vi. A poll demanded on a question of adjournment or election of Chairman of the meeting shall be taken forthwith.

vii. A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty-eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.

viii. The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in case of a poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

Regulation 68. Determination of Voting Rights:

i. Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a General Meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

ii. Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in Sub-Regulation (i). Explanation – for this Chapter, “Company” means any body corporate.

iii. Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

विनियम 69 विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

i. केंद्रीय सरकार या किसी कंपनी के रूप में जैसी भी स्थिति हो, कोई शेयरधारक संकल्प के द्वारा शेयरधारकों की किसी भी सामान्य सभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने किसी भी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों मे जिसे विहित रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधि कहा गया है) केन्द्रीय सरकार या जिस कंपनी का वह प्रतिनिधित्व करता है उस कंपनी की और से उन्ही अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जैसे कि वह बैंक का एकल शेयरधारक हो । इस प्रकार दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों मे से कोई भी एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार/व्यक्तियों के विहित रूप में प्राधिकृत प्रतिनधि के रूप में कार्य कर सकता है ।

ii. कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी सभा में किसी कंपनी के विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक उपस्थित रहेगा या मतदान नही करेगा जबतक की उसे विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में न नियुक्त किए जाने विषयक संकल्प की ऐसी प्रति जो जिस सभा में वह पारित किया गया था, उस सभा के सभापति द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित हो, सभा के लिए नियत तिथि से कम से कम चार दिन पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नही कर दी जाती।

विनियम 70 प्रतिनिधि

i. प्रतिनिधि का कोई भी प्रपत्र तब तक वैद्य नहीं होगा जब तक कि एकल शेयरधारक के मामले में, वह उस द्वारा या उसके प्राधिकृत एटार्नी द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित न हो या संयुक्त शेयरधारकों के मामले में रजिस्टर मे प्रथम नाम के शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित या उसकी एटार्नी द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित न हो या निगमित निकाय के मामले में उसे अधिकारी या एक एटार्नी द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित न हो।

ii. बशर्ते कि प्रतिनिधि का प्रपत्र किसी अन्य शेयरधारक द्वारा विहित ढ़ंग से हस्ताक्षरित हो ,जो कि किसी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ है ,यदि उसका चिन्ह उस पर लगा हो और किसी न्यायधीश,मजिस्ट्रेट,बीमा कंपनी के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित हो या अन्य कोई सरकारी राजपत्रित अधिकारी या पंजाब एण्ड सिंध बैंक का कोई अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित हो।

iii. कोई भी प्रतिनिधि तब तक वैद्य नहीं होगा जब तक विधिवत मोहर लगी न हो और उसकी एक सत्यापित प्रति पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रधान कार्यालय को मीटिंग की तिथि से कम से कम चार दिन पहले प्राप्त न हो जाए साथ ही पावर आफ एटार्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत उसको हस्ताक्षरित किया गया हो या उस पावर आफ एटार्नी या अन्य प्राधिकार की एक प्रति जो कि नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट से सत्यापित हो को पहले से ही जमा करा दिया गया हो और पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पास पंजीकृत हो।

iv. प्रतिनिधि का कोई भी प्रपत्र तभी मान्य होगा जब वह फार्म "बी" में हो।

v. प्रतिनिधि का कोई भी प्रपत्र जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक में जमा हो वह अप्रतिसहरणीय होगा।

vi. यदि प्रतिनिधि का प्रपत्र दो विकल्पी व्यक्तियों के नाम पर हो तो तो भी एक ही फार्म निष्पादित किया जाएगा।

vii. इस विनियम के अंतर्गत प्रतिनिधि के प्रपत्र का गारंटीकर्ता को उस मीटिंग में वोट करने का अधिकार नहीं होगा जिस मीटिंग में यह प्रपत्र रखा जाना है।

viii. कोई भी व्यक्ति पूर्ण प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक का कर्मचारी या अधिकारी हो।